मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 **भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर, 2006**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी कियान्वयन।

———

राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त आवेदनों में कुछ ऐसे आवेदन भी आये हैं, जिनमें आवेदकों द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के विरूद्ध चल रहे प्रकरण से संबंधित जानकारी चाही गई है। इस तरह के आवेदनों में संबंधित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त ऐसे आवेदन विशेष, जिनमें संबंधित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के विरूद्ध चल रहे प्रकरणों की जानकारी चाही गई है, उनके निराकरण हेतु विभाग के समकक्ष अन्य किसी अधिकारी को उस प्रकरण विशेष के लिए लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किया जाए।

(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 **भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर, 2006**

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर /इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 **भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन (अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगम/मंडल तथा स्थानीय निकायों द्वारा आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के संबंध में)**

संदर्भः– विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2005.

––––––

संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना/सैंपल से प्राप्त राशि उक्त पत्र के अंतिम पैरा में दर्शाए राजस्व प्राप्ति के शीर्ष में जमा की जानी है। कतिपय निकायो/मंडलों द्वारा इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या अर्द्धशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों द्वारा भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला शुल्क राजस्व प्राप्ति हेतु दर्शाए शीर्ष में जमा करना है ?

2/ उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्द्धशासकीय संस्थाऍ, निगम/मंडल एवं स्थानीय निकाय (शासन के विभागों के अलावा) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला शुल्क शासन के खाते में (राजस्व प्राप्ति हेतु दर्शाए शीर्ष में) जमा नहीं करते हुए उक्त राशि अपनी प्रचलित व्यवस्था अनुसार, पृथक से खाता खोलकर उसमें जमा कर सकते हैं, परंतु उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि की अलग जानकारी रखी जाए, जिससे कि आवश्यकता होने पर अधिनियम के अधीन प्राप्त राशि की समय–समय पर समीक्षा की जा सके।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों से आपके विभाग के अधीन सभी अर्धशासकीय संस्थाओं, निगम/मंडल, स्थानीय निकायों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2006

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर /इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग